न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण प्रार्थना पत्र– 82/2023

उनवान

श्रीमति नन्दू पत्नि शम्भू लाल जाति रेगर उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम उमरचा ग्राम पंचायत गोपालपुरा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

.... प्रार्थीया

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला–चित्तौडगढ ....विपक्षी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – अनिल शर्मा अभिभाषक प्रार्थी।

पेरोकार सरकार।

निर्णय **दिनांक 11.07.2024**

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के खाते व स्वामित्व की कृषि आराजीयात ग्राम उमरचा प0ह0 गोपालपुरा भू.अ.नि. बोराव तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ की खाता संख्या नया 67 व पुराना 63 खसरा संख्या 109, 110 कुल किता 02 रकबा 0.86है0 स्थित है। श्रीमान की जानकारी हेतु जमाबंदी सम्वत 2076–79 की साथ में सलंग्न है जिसमें प्रार्थीया का नाम नन्दू पत्नि चूना हिस्सा 1/2 दर्ज है। प्रार्थीया का वास्तवित नाम नन्दू पत्नि शम्भू लाल जाति रेगर निवासी उमरचा है, प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान–पत्र में नन्दू पत्नि शम्भूलाल है किन्तु सहवन से उक्त आराजीयात का इंतकाल खुलते समय मुझ प्रार्थीया का नन्दू पत्नि चूना दर्ज हो गया है। उक्त त्रृटि राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रृटिवश हुई है इसलिये उक्त खाते में प्रार्थीया का नाम नन्दू पत्नि शम्भूलाल किये जाने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कॉलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थीया का नाम नन्दू पत्नि शम्भूलाल किये जाने का आदेश प्रदान कर इंतकाल दुरूस्ति किये जाने का आदेश प्रदान किया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार श्रीमती नन्दु पत्नि शम्भूलाल रेगर निवासी उमरचा ही नन्दु पत्नि चुना रेगर है। आवंटन के समय सहवन से नन्दु पत्नि चुना रेगर हो गया था जबकि चुना रेगर, श्रीमती नन्दु के पति ना होकर श्रीमती नन्दु के ससुर है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रावतभाटा मय प0ह0 गोपालपुरा रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थीया के कथनों की पुष्टि होती है। जिससे राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के पति का नाम चुना रेगर के स्थान पर शम्भूलाल रेगर किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उमरचा प0ह0 गोपालपुरा के खाता संख्या 67 आराजी संख्या 109, 110 रकबा 0.86है0 भूमि में प्रार्थीया के पति नाम चुना रेगर के स्थान पर शम्भुलाल रेगर किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता हैं, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.7.2024 को सुनाया गया। जिसकी एक प्रति तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.07.30 12:36:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़